

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 139/2016

दायर दिनांक 05.09.2016

वादी
राममुख पुत्र स्व० गीगाराम जाति
मेघवाल निवासी कोलिया
तहसील डीडवाना जिला नागौर
राज०।

प्रतिवादीगण

1. हरिराम पुत्र स्व० नारायणराम
2. जयराम पुत्र स्व० नारायणराम
3. सीताराम पुत्र स्व० नारायणराम
4. विसनाराम पुत्र स्व० नारायणराम
5. नेमाराम पुत्र स्व० नारायणराम
6. आदूराम पुत्र स्व० रूगनाथ
7. किशनाराम पुत्र स्व० रूगनाथ फौत
- 7/1 दूर्गाराम पुत्र स्व० किशनाराम
- 7/2 मोतीराम पुत्र स्व० किशनाराम
- 7/3 तिलोक पुत्र स्व० किशनाराम
- 7/4 मंगलाराम पुत्र स्व० किशनाराम
- 7/5 रामनिवास पुत्र स्व० किशनाराम
- 7/6 संतोष पत्नी स्व० किशनाराम
- बनाम्
8. बजरंग पुत्र स्व० गीगाराम
9. नानूराम पुत्र स्व० गीगाराम
10. कैलाश पुत्र स्व० गीगाराम
11. सुरेश पुत्र स्व० भागीरथराम
12. महेन्द्र पुत्र स्व० भागीरथराम
13. विमला पुत्री स्व० भागीरथराम
14. मुलकी पुत्री स्व० भागीरथराम
15. नोरती पुत्री स्व० भागीरथराम
16. मोहनी देवी पत्नी स्व० भागीरथराम
17. ओमप्रकाश पुत्र स्व० सालगराम
18. प्रभुराम पुत्र स्व० सालगराम समस्त जातियान
मेघवाल निवासीगण कोलिया तह० डीडवाना
19. तहसीलदार डीडवाना
20. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे शाखा कोलिया।

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री रघुवीर सिंह शैखावत वकील वादी।
2. श्री तेजपाल राठी वकील प्रतिवादी सं० 4।
3. श्री पूर्णसिंह बोहरा वकील प्रतिवादीगण।

--: अन्तिम निर्णय :-

दिनांक 04.08.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा सरहद कोलिया के खेत खसरा सं० 1010 रकबा 8 बिस्वा, खसरा सं० 1011 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं० 1088 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं० 1089 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं० 1816 रकबा 08 बीघा, खसरा सं० 1817 रकबा 03 बिस्वा, खसरा सं० 1849 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 31 बीघा 03 बिस्वा।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने याबत् दिनांक 27.11.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक/प.1(10)रीडर/2025/272 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान् बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक/प.1(10)रीडर/2025/272 दिनांक 02.06.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

--: आदेश :-

राजस्व ग्राम कोलिया के खेत खसरा सं० 1010 रकबा 8 बिस्वा, खसरा सं० 1011 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं० 1088 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं० 1089 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं० 1816 रकबा 08 बीघा, खसरा सं० 1821 रकबा 13 बिस्वा एवं खसरा सं० 1849 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 31 बीघा 03 बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक/प.1(10)रीडर/2025/272 दिनांक 02.06.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक/प.1(10)रीडर/2025/272 दिनांक 02.06.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Wkas
उपखण्ड अधिकारी
(विकास मोहन मोदी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Wkas
(विकास मोहन मोदी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना